

पत्रांक : 236 / 12-1(2) नई टिहरी, दिनांक- 30/07 / 2018

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0 घनसाली,
मुख्यालय-घुमेटीधार,
जनपद-टिहरी गढ़वाल।

विषय:- जनपद-टिहरी में ठेला थार्ती चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.357 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन पत्रावली सं0-FP/UK/ROAD/10965/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/96/2015/एफ0सी0/813, दिनांक:-19-07-2018।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद-टिहरी में ठेला थार्ती चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.357 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन प्रस्तुत किया जायेगा:-

1- शासन की शर्त सं0-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.715 है0 ग्राम-थार्ती सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0:-24,28,565.00 (चौबीस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ पैंन्सठ रुपये मात्र) जमा किया जायेगा। मांग की गई धनराशि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रतिपूरक वृक्षारोपण का आंकलन

- 1-हस्तान्तरण हेतु कुल आवेदित वन भूमि - 4.357 है0
- 2-हस्तान्तरित वन भूमि के विरुद्ध प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल-8.715 है0
- 3-प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु निर्धारित दर प्रति है0- 2,78,665.00
(दो लाख अट्ठहत्तर हजार छः सौ पैंन्सठ रुपये मात्र)
- 4-प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल मांग $8.715 \times 2,78,665.00 = 24,28,565.475$ या 24,28,565.00
(चौबीस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ पैंन्सठ रुपये मात्र)

ग्राम-थार्ती सिविल सोयम भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण-पत्र अमल-दरामद मय नक्शा, खसरें के प्रस्तुत करना होगा।

2- शासन की शर्त सं0-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि मु0-40,91,223.00 (चालीस लाख इकानबे हजार दो सौ तेइस रुपये मात्र) जमा किया जायेगा। मांग की गई धनराशि का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:-

5250

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की धनराशि का आंकलन

1-ईको-क्लास श्रेणी - V

2-हरियाली का घनत्व- 0.7

3-एनपीवी की दर प्रति है० रुपये- 9,39,000.00 (नौ लाख उनचालिस हजार रुपये मात्र)

4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 4.357 है०

5-कुल देय एनपीवी की धनराशि- $4.357 \times 9,39,000.00 = 40,91,223.00$

(चालीस लाख इकानबे हजार दो सौ तेइस रुपये मात्र)

3- शासन की शर्त सं०-03 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जायगी।

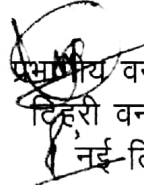
4- शासन की शर्त सं०-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किया जायेगा। अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।

5- शासन की शर्त सं०-05 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।

6- शासन की शर्त सं०-06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण will submit the hard copy of Part-I, II & III in original.

अतः शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : 236 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी